

**प्रेस नोट**  
**दिनांक 15.04.2024, थाना कौड़िया**  
**जनपद गोण्डा।**

**थाना कौड़िया व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा आर्य नगर कस्बा स्थित चौबे होटल के पास से मोटरसाईकिल की डिग्गी से पैसे व कागजात चुरा लेने की घटना का किया गया खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 70,000/- रुपये, 01 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कौड़िया व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0-98/24, धारा 379 भादवि से सम्बन्धित 02 प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तों-01. अनूप कुमार बरुवार, 02. हेमन्त कुमार उर्फ पोपले बरुवार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 70,000/- रुपये, 01 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण—**

दिनांक 11.04.2024 को वादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र राम समुझ पाण्डेय नि0 ग्राम फरेन्दा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 10.04.2024 को कस्बा आर्यनगर में चौबे होटल के पास किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी मोटरसाईकिल की डिग्गी से एक लाख रुपये व कागजात चुरा लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा घटना के जल्द से जल्द अनावरण हेतु 03 टीमों का गठन किया गया था तथा प्रभारी एसओजी/सर्विलांस को भी निर्देशित किया गया था। आज दिनांक 15.04.2024 को थाना कौड़िया व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा की गयी कड़ी मेहनत एवं अथक प्रयासोपरांत घटना का अनावरण कर प्रकाश में 02 आरोपी अभियुक्तों-01. अनूप कुमार बरुवार, 02. हेमन्त कुमार उर्फ पोपले बरुवार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 70,000/- रुपये, 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा पैसे को चोरी करने की बात को स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण आपराधिक किस्म के व्यक्ति है जो पूर्व में भी कई मुकदमों में जेल गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धाराओं की बढोत्तरी कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. अनूप कुमार बरुवार पुत्र स्व0 शिवप्रसाद नि0 दुल्हापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. हेमन्त कुमार उर्फ पोपले बरुवार पुत्र हनुमान उर्फ हनुमन्त नि0 दुल्हापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0 98/2024 धारा 379 भा0द0वि0 बढोत्तरी धारा 411 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 70,000/- रू0 नगद।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
03. 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल, 04. 01 अदद पैन कार्ड।

## गिरफ्तारकर्ता टीम—

01. उ०नि० श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता
02. उ०नि० श्री प्रतीक पाण्डेय
03. हे०का० विनोद कुमार पाण्डेय
04. का० सत्येन्द्र यादव

## एसओजी टीम—

01. प्रभारी एसओजी उ०नि० श्री सर्वजीत गुप्ता
02. हे०का० पंकज सिंह
03. हे०का० रणधीर सिंह
04. हे०का० लोकेश नागर
05. का० आदित्य कुमार पाल

## सर्विलांस टीम

01. प्रभारी सर्विलांस उ०नि० श्री सुनील सिंह ।
02. हे०का० अरुण यादव
03. हे०का० अमित पाठक
04. का० अंशुमान पाण्डेय

## अभियुक्त हेमन्त उर्फ पोपले का आपराधिक इतिहास—

01. मु०अ०सं०—110/18 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।
02. मु०अ०सं०—155/22 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
03. मु०अ०सं०—98/2018 धारा 307 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।
04. मु०अ०सं—745/17 धारा 392 भादवि थाना को०नगर जनपद गोण्डा ।
05. मु०अ०सं—96/2018 धारा 379,411 भादवि थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा ।
06. मु०अ०सं—343/19 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
07. मु०अ०सं—344/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।
08. मु०अ०सं—138/2018 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।

## अभियुक्त अनूप कुमार बरूवार का आपराधिक इतिहास—

01. मु०अ०सं०—430 / 17, धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायइनायत प्रयागराज ।
02. मु०अ०सं०—154 / 18, धारा 392,411 भादवि थाना अकबरपुर अम्बेड़कर नगर ।
03. मु०अ०सं०—341 / 18, धारा 401,411,413,414 भादवि थाना दारागंज प्रयागराज
04. मु०अ०सं०—66 / 19, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अकबरपुर अम्बेड़कर नगर ।
05. मु०अ०सं०—616 / 19, धारा 174 भादवि थाना अकबरपुर अम्बेड़कर नगर ।
06. मु०अ०सं०—380 / 20, धारा 379,411 भादवि थाना फूलपुर प्रयागराज ।
07. मु०अ०सं०—484 / 20, धारा 379,411 भादवि थाना सरायइनायत प्रयागराज ।
08. मु०अ०सं०—494 / 20, धारा 401,420,467,468,471 भादवि थाना सरायइनायत प्रयागराज
09. मु०अ०सं०—132 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना धानेपुर गोण्डा ।

## मीडिया सेल, गोण्डा